धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन: पावटा। भोनावास बाबा मोहनदास आश्रम मंदिर प्रांगण में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज भव्य कलश यात्रा के साथ तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

प्ररूप-5 (नियम 6 (2) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर

सं.: 487 **लोक सूचना** दिनांक: 21.5.25

मैसर्स पॉपुलर इंडिया वेकेशंस प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री भगवती सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, निवासी-ई-सी 1/415 चित्रकूट स्कीम वैशाली नगर जिला-जयपुर ने नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासीय के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर पालिका पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है। अर्थात् :-

जिले सहित नगर का नाम: डेहरा-जोबनेर जिला-जयपुर

ग्राम का नाम: राजस्व ग्राम डेहरा, तहसील-जोबनेर

खसरा न.: 2413/1851

क्षेत्र: रकबा 0.3540 हैक्टेयर सम्पूर्ण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर ओर मुहर के अधीन आज 21.5.25 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगरपालिका जोबनेर

कार्यालय आवासीय अभियंता

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-कोचिंग हब, जयपुर (उपखण्ड दौसा)

(Email Id:reeh.rhb@rajasthan.gov.in)

-: आवश्यक सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवास संख्या 3/126, स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर, क्षेत्रफल 260.10 वर्ग मीटर का आवंटन श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री कल्याण सिंह चौहान को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 932 दिनांक 30.03.1991 को जारी किया गया था व मूल आवंटी को कब्जा दिनांक 10.02.1992 को संभलवा दिया गया। तत्पश्चात मूल आवंटी श्री राजेन्द्र सिंह चौहान की दिनांक 05.06.1996 को मृत्यु हो जाने के पश्चात् नामित उत्तराधिकारी पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र सिंह चौहान ने उक्त आवास का हस्तांतरण अपने पक्ष में करने हेतु निवेदन किया है।

अतः आवास संख्या 3/126, स्कउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर के हस्तांतरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित उत्तराधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र सिंह चौहान के पक्ष में उक्त आवास के हस्तांतरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड-कोचिंग हब जयपुर

आम सूचना

मेरे अभिभाष्य श्री सुरेश जाजू पुत्र स्व. श्री माधोनारायण जाजू निवासी-जाल की गली, सांभरलेक, जिला जयपुर हाल निवासी चितौडगढ के निर्देशानुसार एवं उनकी ओर से श्री विकास गर्ग पुत्र श्री नारायण गर्ग निवासी-जी 148, सुमेर नगर विस्तार, मांग्यावास, मानसरोवर, जयपुर की ओर से राष्ट्रदूत अखबार में जो सूचना दिनांक 18.05.2025 को संपत्ति जाजू भवन, जाल की गली सांभरलेक के संबंध में श्री राजेश जाजू पुत्र श्री एस.एन जाजू निवासी जाल की गली, सांभरलेक, जिला जयपुर के द्वारा विक्रय बाबत् प्रकाशित करवाई गई है, वह संपत्ति जाजू भवन मेरे अभिभाष्य के हित व अधिकार की संपत्ति है। संपत्ति जाजू भवन मेरे अभिभाष्य पिता स्व. श्री माधोनारायण जाजू एवं श्री राजेश जाजू के दादा स्व. श्री रामनारायण जाजू की संयुक्त संपत्ति है एवं बराबर - बराबर हिस्सेदारी की अविभाजित संपत्ति है। इस प्रकार से मेरे अभिभाष्य संपत्ति जाजू भवन के आधे हिस्से के स्वामी, हितधारी एवं कब्जेधारी है। श्री राजेश जाजू को संपत्ति जाजू भवन को विक्रय करने का कोई अधिकार विधिक रूप से नहीं है इसलिए उसे अकेले श्री राजेश जाजू के द्वारा विक्रय नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति जाजू भवन को विक्रित करता है या यदि कोई व्यक्ति उक्तसंपत्ति को क्रय करता है तो वह मेरे अभिभाष्य के हित व अधिकार से अमान्य होगी। सूचित रहे।

राघव मिश्रा, एडवोकेट, मो. 9414760026

तीये की बैठक

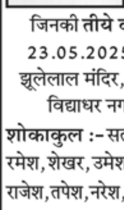

हमारे बड़े भाई
श्रीमान विकेश गौड़ (रवि)
पुत्र श्री सत्यनारायण गौड़
का स्वर्गवास
21.05.2025
को हो गया।

जिनकी तीये की बैठक (शुक्रवार) 23.05.2025 को शाम 5 से 6 बजे झूलेलाल मंदिर, डी-ब्लाक, सेक्टर-8, विद्याधर नगर जयपुर पर होगी।

शोकाकुल :- सत्यनारायण जी (पिताजी), रमेश, शेखर, उमेश (चाचाजी), स्व. मुकेश, राजेश, तपेश, नरेश, दिलीप, सोनू, मोनू (भाई), स्व. मृगांक, मृदुल, मृणाल, मानस (भतीजे), निमिषा (भतीजी) एवं समस्त गौड़ परिवार।

मो. 8209946506, 9829437544

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर समस्त त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/312

चूंकि प्रार्थी श्री Charu, 1, Laxmi Path, Hathroi, Ajmer Road, Jaipur **302001 ने राजथान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास**

इडियन इंस्ट्टियूट ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन एण्ड एनालिसिस, 1, Laxmi Path, Hathroi, Ajmer Road, Jaipur 302001 **के संबंध में अग्रिम जांच, किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।**

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 28/07/2025

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 08/25

विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम सौरभ सिन्हा पुत्र सुभाष चन्द सिन्हा
जाति कायस्थ
विवाद स्थान जयपुर
मृतक सुभाष चन्द सिन्हा एवं सरोज सिन्हा की सम्पत्ति के विषय में
पेशी दिनांक 11.08.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम 1. सुभाष चन्द सिन्हा पुत्र श्री पी.डी. सिन्हा 2. श्रीमती सरोज सिन्हा धर्मपत्नी श्री सुभाष चन्द सिन्हा जाति कायस्थ निवासी 52/145, प्रताप नगर, सेक्टर-5, सांगानेर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को काई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 11 माह 8 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 22 माह 5 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से
शरिश्तेदार
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-10, जयपुर महानगर
(मुहर) न्यायालय सांगानेर

नम्बर मिलाइए
9587884433

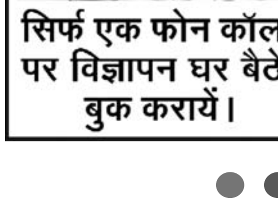

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें : कलेक्टर

जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में विभागीय उपलब्धियों एवं विकास कार्यो के संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया।

- **जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न**

कोटपूतली। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरूवार को जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में विभागीय उपलब्धियों एवं विकास कार्यो के संबंध में राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुये कहा कि सभी राजस्व अधिकारी बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को गति देने के लिये संबंधित विभागों से समन्वय करते हुये भूमि आवंटन, डीपीआर, टैंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करते हुये विकास कार्यो को समय पर पूरा करें। जिससे विकास कार्यो का लाभ आमजन को समयबद्ध मिल सकें। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बजट 2025-26 में जिले के संबंध में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिये आवश्यक व भविष्य में सुगमता को देखते हुये उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि का चयन करते समय आमजन की पहुंच व सुविधाओं का विशेषता से ध्यान रखें।

राजस्व संबंधी प्रकरणों का गुणवत्ता से करें निस्तारण रू- जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरणों का विहित समय में निस्तारण करें, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सकें। सभी उपखण्ड अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करते हुये अपने क्षेत्र में संचालित समस्त गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी के मामलों में दोनों पक्षों को सुनकर ही संवेदनशीलता से कार्यवाही करें।

उन्होंने अधिकारियों को जनसुनवाई व रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन के बीच पहुंचकर उनके परिवादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ आमजन के बिजली, पेयजल, सडक आदि के प्रकरणों को सुन संतुष्टपूर्ण निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ, संपर्क पोर्टल व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से निवारण करें।

गर्मी के मद्देनजर निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें रू- जिला कलक्टर ने कहा कि गर्मी के मद्देनजर अधिकारी अपने क्षेत्र में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये पीएचईडी विभाग से समन्वय करते हुये ट्यूबवेल, टैंकर सप्लाई, पाईपलाईन मरम्मत, मोटर रिपेयर, टंकी सफाई आदि कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग करें। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा रू- बैठक के दौरान उन्होंने संपरिवर्तन प्रकरणों, भूमि अवाप्ति, गैर खातेदारी प्रकरण, 90 ए, मासिक सारांश रिपोर्ट, राजस्व सहित न्यायालयों व अदालतों के लंबित प्रकरण, एल आरध्पीडीआर एक्ट प्रकरण, जीएलएमएसी से संबंधित प्रकरण, जीसीएमएस पोर्टल, सहायता संबंधित बकाया प्रकरण, सडक सुरक्षा, गिरदावरी, अतिक्रमण, राजस्व वसूली के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक : पट्टा शा०/न.नि.भ./2025-26/ सार्वजनिक सूचना दिनांक : 21.05.2025

नजूल विभाग भरतपुर द्वारा नजूली दुकान सं० 33, 34 का आवंटन दिनांक 15.07.1968 को श्री देवीराम शर्मा पुत्र दयाचन्द शर्मा, निवासी मथुरा दरवाजा बाहर, भरतपुर को किया गया था। तदोपरान्त देवीराम शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 30.06.1998 से उक्त नजूली दुकान श्री भगवानदास पुत्र फत्तनदास एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि भगवानदास निवासी मोरी चार बाग, भरतपुर को विक्रय कर दिया गया। तत्पश्चात भगवानदास व लक्ष्मीदेवी द्वारा जरिये वयनामा दिनांक 26.02.2018 से श्री संजय व मुकेश कुमार पुत्रान गोरधनदास, निवासी मोरी चार बाग, भरतपुर को विक्रय कर दिया गया है। अब श्री संजय व मुकेश कुमार पुत्रान गोरधनदास द्वारा नाम हस्तान्तरण कराने हेतु शपथ पत्र, वयनामाओं की प्रति प्रस्तुत की है। निगम द्वारा नाम हस्तान्तरण की अग्रिम कार्यवाही की जानी है।

उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नाम हस्तान्तरण आवेदकान् के पक्ष में किये जाने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्रभारी अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक (विज्ञान, वाणिज्य ,कला वर्ग व वरिष्ठ उपाध्याय) परीक्षा 2025 की उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा एवं उत्तर-पुस्तिकाओं की स्केन फोटो प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों के सूचनार्थ

उच्च माध्यमिक (विज्ञान, वाणिज्य, कला वर्ग व वरिष्ठ उपाध्याय) परीक्षा 2025 का परिणाम दिनांक 22.05.2025 को घोषित किया गया है। संवीक्षा एवं उत्तर-पुस्तिका की स्केन फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु बिना विलम्ब शुल्क दिनांक 29.05.2025 एवं विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 01.06.2025 तक ई-मित्र पर अथवा स्वंय के स्तर पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्ते व आवेदन पत्र प्रारुप/प्रक्रिया आदि बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर एवं दिनांक 22.05.2025 को अपलोड की गई विज्ञप्ति में देखे। **सचिव**

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांक : न.नि.भ./स्कीम/2025-26/3105 सार्वजनिक सूचना दिनांक : 21.05.2025

हरिजन गृह निर्माण स०स० (शास्त्रीपुरम्) योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 37 क्षेत्रफल 167.87 वर्गगज का आवासीय रूपान्तरण पट्टा विलेख क्रमांक 232 दिनांक 22.04.2025 नगर निगम, भरतपुर द्वारा श्री साकेत पुत्र डॉ० डी०डी० आर्य जाति वैश्य निवासी - आर्य नर्सिंग होम, पुराने जनरल हॉस्पीटल के सामने, मौहल्ला मोरी चार बाग, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्री साकेत पुत्र डॉ० डी०डी० आर्य ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 23.04.2025 के द्वारा श्री राजीव अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल को विक्रय कर दिया। आवेदक श्री राजीव अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल जाति वैश्य निवासी-मकान संख्या 100, सैक्टर संख्या 3, 100 फुट रोड, भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं। भूखण्ड संख्या 37, हरिजन गृह निर्माण स०स० (शास्त्रीपुरम्), भरतपुर का नाम परिवर्तन कराने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।

भूख्या संख्या 37, हरिजन गृह निर्माण स०स० (शास्त्रीपुरम्), भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 37, हरिजन गृह निर्माण स०स० (शास्त्रीपुरम्), भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

प्रभारी अधिकारी
स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर

विश्व जैव विविधता शिविर आयोजित

शाहपुरा। तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा अध्यक्ष ललिता शर्मा अपर जिला एवं सत्र सैशन न्यायाधीश प्रथम के निर्देशानुसार पैरा लीगल वॉलिन्टियर दिनेश कुमार शर्मा के द्धारा कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में गुरुवार को ''विश्व जैव विविधता दिवस'' विश्व जैव विविधता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता रोहिताश यादव व्याख्याता द्धारा की गई। इस दौरान पैरा लीगल वॉलिन्टियर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता है जिसका संरक्षण करना आज आवश्यक है। पेड़ पौधै, हमारे लिए जीवनदायिनी आंक्सीजन को पैदा करते है। पेड़ पौधों से फल फ्रूट्स, जड़ी बूटियों की दुर्लभतम प्रजातियां जंगलों में उपलब्ध होती है। जंगलों में पाये जाने वाले जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों, जमीन पर रेंगने वाले वन्यजीव, पृथ्वी को बचाने का कार्य करते है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 29 दिसम्बर 1992 में नोरोबी अधिवेशन में 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का संकल्प दिलाया था इसलिए हमें पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण को आधार बनाकर पौधारोपण का कार्य करना चाहिए। भारत वर्ष में वैदिक संस्कृति काल से ही ''वसुधैव कुटुम्बकम'' का भाव देखने में आया है। पीपल के पौधे से आक्सीजन, गाय एवं पशुओं के गोबर से खाद मिलती है जो पृथ्वी की उर्वरता शक्ति को कायम रखती है। फलदार पेड़ लगाना चाहिए। भारत में उष्ण जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पौधारोपण कार्य किया जाता रहा है।

वन्य प्राणी के लिए आहार, स्वास्थ्य एवं जल सुरक्षा इन्हीं सघन वनों में उन्हें उपलब्ध होती है। वन्य पेडों की अंधाधुंध कटाई के कारण हाल के कुछ दिनों पूर्व चीता, तेंदुआ, बघेरा विराटनगर, मैड़ ग्रामीण क्षेत्र में रेस्क्यू किया गया था। क्योंकि अगर सरकारी योजनाओं की उचित देखभाल एवं सुनिश्चित हाथों से सघन पौधारोपण किया जावे एवं संकल्प दिलाया जावे कि हमें हमारे घर के प्रत्येक सदस्य के नाम पर फलदार पौधारोपण किया जायेगा। सरकार इस दशा पर संज्ञानात्मक कार्य करें।

हाइपरटेंशन जागरूकता का संदेश दिया

टोंक। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने गैर संचारी रोग एवं उच्च रक्तचाप विषय पर क्विज, स्लोगन एवं पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। सीएमएचओ डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि जागरूकता का संदेश के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी साझा की गई।

डिप्टी सीएमएचओ डॉ. अभिमन्यु डासवानी ने बताया कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।

इस आयोजन के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच मिला, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश भी प्रसारित हुआ। उन्होंने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता में योगिता एंड ग्रुप प्रथम, पलक कुमावत द्वितीय, प्रियंका कुमावत एवं चेल्सी गोदीवल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार स्लोगन कंपटीशन में रोहित ढाका प्रथम एवं प्रियंका कुमावत द्वितीय स्थान पर रही।

कला और वाणिज्य में बेटियों ने मारी बाजी

- **फुलेरा क्षेत्र में विज्ञान संकाय में छात्र यश जांगिड़ पुत्र विजय कुमार ने 94.80 प्रतिशत अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया**

फुलेरा । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणाम गुरुवार सांय 5 बजे घोषित हुए। जिसमें फुलेरा क्षेत्र में विज्ञान संकाय में छात्र यश जांगिड़ पुत्र विजय कुमार ने 94.80 प्रतिशत अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। छात्र यश जांगिड़ ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा दादी, माता-पिता परिजनों सहित बड़ी बहन ऐश्वर्या शर्मा को देते हुए कहा कि मुझे हमेशा मेरे शिक्षकों ने आत्मबल प्रदान किया। जिसकी वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया। विज्ञान संकाय में दूसरा स्थान राजकुमार सैनी ने हासिल किया। वहीं वाणिज्य संकाय में विवेकानन्द कॉमर्स फाउण्डेशन की छात्रा दर्शिता जांगिड़ पुत्री सत्यनारायण शर्मा ने 95 प्रतिशत अंक हासिल करते हुए नगर की वरीयता सूची में प्रथम रही। दर्शिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक दौलत सिंह राठौड़ और मुकेश गेनोलिया को देते हुए सीए बनने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि माता पिता की प्रेरणा से मुझे हौंसला मिला। अगर बेटियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए तो वो एक दिन व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसे व्यक्तित्व में उभरकर सामने आती है। वहीं कला संकाय में छात्रा सपना चौधरी पुत्री जगदीश प्रसाद जाट ने 91.80 प्रतिशत अंक अर्जित करते हुए नगर में अव्वल रही। सपना ने कहा कि नियमित अध्ययन से सटीक परिणाम मिलते है। उसने अपने माता पिता को अपना आइडल बताते हुए आईपीएस बनने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे निदेशक ज्योति शर्मा और सभी शिक्षकों का हमें सदैव मार्ग दर्शन मिला, जिस वजह से में ये मुकाम हासिल कर पाई।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, सांभर लेक जिला जयपुर

क्रमांक: न.पा.सा./2024-25/ दिनांक :-

-: आपत्ति सूचना :-

एतद् द्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्तियों ने फोति नामान्तरण हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है।

क्र. सं.	प्रार्थी का नाम	स्थान	पट्टाधारक का नाम	क्षेत्रफल वर्गगज	प्रयोजनार्थ
1	श्री राम रतन माली पुत्र श्री नेमी चन्द	ब्रहम सागर के पास, बस स्टेण्ड, फुलेरा	श्री नेमीचन्द पुत्र श्री मांगीलाल	163.61	नामान्तरण
2	श्री राम रतन माली पुत्र श्री नेमी चन्द	ब्रहम सागर के पास, बस स्टेण्ड, फुलेरा	श्री नेमीचन्द पुत्र श्री मांगीलाल	29.27	नामान्तरण

किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त ईजाजत बाबत आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 07 दिवस के अन्दर मयाद विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद मयाद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सांभर लेक

प्ररूप-5 (नियम 6 (2) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर जयपुर

सं.: 485 **लोक सूचना** दिनांक: 21.5.25

1. श्री सेवा राम कुमावत पुत्र श्री गोरधन लाल कुमावत निवासी-तिबाडीयों का बास, आसलपुर एवं 2. श्री गोपाल पुत्र श्री सुजा राम, निवासी- चौरास्यो की ढाणी, दहमी कलां जिला-जयपुर ने नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासीय के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर पालिका पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है। अर्थात् :-

जिले सहित नगर का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	क्षेत्र
आसलपुर-जोबनेर जिला-जयपुर	राजस्व ग्राम आसलपुर तहसील-जोबनेर	1965/842	रकबा 0.2529 हैक्टेयर में से 2344.22 वर्गमीटर भूमि

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर ओर मुहर के अधीन आज 21.5.25 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी) नगरपालिका जोबनेर

'ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर कराएं अवगत'

- **कोटकासिम क्षेत्र के गांव लाडपूर में रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों ने 42 शिकायत दर्ज कराई**

कोटकासिम/ खैरथल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में कोटकासिम क्षेत्र की ग्राम पंचायत लाडपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीएम शिवपाल जाट, डीएसपी राजेंद्र निर्वाण, कोटकासिम एसडीएम रेखा यादव, तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा, सरपंच सहित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

ग्रामीणों ने चौपाल पर पहुंचकर समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समझा मौके पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर समस्याओं का टाइम अवधि में निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिए। कुल 42 मामले दर्ज किए गए। सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष जो मामले दर्ज किए गए उनमें पट्टे, रास्ते पर अवैध अतिक्रमण हटाने, सड़क बनवाने, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने, पानी, बिजली के संबंध में थे।

रात्रि चौपाल के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे वृद्ध जन पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सशक्त खैरथल तिजारा, लाडो योजना, स्वास्थ्य जीवन शैली नवाचार, तंबाकू फ्री कैंपियन, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना किया के बारे में विस्तार से आवेदन की प्रक्रिया के बारे में ग्रामीणों को बताया।

चौपाल पर जनसुनवाई व योजनाओं की जानकारी देने के पश्चात कलेक्टर रात्रि विश्राम के लिए गांव के स्कूल में ही ठहराव किया। रात्रि ठहराव के दौरान कलेक्टर ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों से गांव के विकास को लेकर चर्चा की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों एवं वंचित रहे परिवारों के बारे में जानकारी हासिल की ओर कहा जो परिवार गांव में सरकार की योजनाओं से वंचित है उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी मदद करें परेशानी और रुकावट आने पर अधिकारी से सीधे संपर्क कर अवगत करावे कोई सुनवाई नहीं करें तो मुझे बताएं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को भरोसा दिया ।

शार्ट सर्किट से किसान के मकान में लगी आग

पावटा। उपखंड पावटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत वीर तेजाजी नगर स्थित जोगियों की ढाणी में बुधवार को एक किसान के घर में शार्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बाड़े में बंधे चार पशुओं की जलकर मौत हो गई। घर में आग लगने से गृहस्थी का सारा सामान व घर में रखा खाने पीने का सारा समान भी जलकर राख हो गया। किसान का रो रोकर बुरा हाल है, पीड़ित ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। किसान मुकेश , जीतू, राहुल ने बताया कि सोमवार की रात अचानक आए तेज अंधड के कारण मकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई, जो फैलती हुई पशुओं के बाड़े में पहुंच गई व बाड़े में बंधे तीन भैंस, एक गाय आग की चपेट में आ गई, जिनकी झुलसकर मौत हो गई व पांच मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए जिनका उपचार जारी है। पशुओं की कराहते हुए आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया। लेकिन आग पर काबू पाने में समय लग गया, इतनी देर में पशुओं की जलकर मौत हो गई। पशुओं की मौत से किसान परिवार में कोहराम मच गया और गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित किसान ने बताया कि उसके पशुओं की मौत होने से काफी नुकसान हुआ है, जिससे पूरा परिवार रो रोकर परेशान है। पीड़ित किसान ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वही सूचना पर विधायक प्रतिनिधि आशीष धनकड ने आगजनी के घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम कपिल उपाध्याय, तहसीलदार संजय खेदड़, पटवारी, सरपंच प्रतिनिधि अमित गजराज, मदन बाज्या, रंजीत सिंह, ओमप्रकाश बाज्या सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण व अधिकारी मौके पर पहुंचे ।

उर्स पर चद्दर पेश की:- मनोहरपुर। जयपुर की प्रसिद्ध दरगाह मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के 216 वें उर्स के अवसर पर आज दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष संदीप लुहाड़िया व सैयद सादात अली एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट ने पूर्व महासचिव दी।

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक : जविप्रा./उपा./जोन-12/2025/डी-3754 दिनांकः 22.05.2025

आम सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना रजत विहार के बी ब्लॉक के माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के स्थगन प्रभावी होने के कारण बी ब्लॉक के सफल आवंटियों को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर जविप्रा की एलपीसी के निर्णयानुसार लॉटरी में पूर्व मे आवंटित सड़क से बढ़ी सड़क पर भूखंड निकलता है उन्हे समतुल्यता के आदेश दिनांक 12.07.2024 की पालना मे अंतर राशि जमा कराते हुए अन्य भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु दिनांक 02.06.2025 को समय 11.00 AM पर नागरिक सेवा केन्द्र हॉल में लॉटरी निकाली जावेगी।

राज. संवाद/सी/2025-26/2830 **उपायुक्त जोन-12**

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

कुलसचिव कार्यालय, जोबनेर, जयपुर (राज.) पिन. 303 329 Phone : 01425-254980
Email. id- registrar@sknau.ac.in

क्रमांक :- प.व्य.प./स्था-2/श्रीकनकृविवि/2281 दिनांक :- 06/05/2025

अन्तिम नोटिस

श्री रमा शंकर शर्मा (इलेक्ट्रीशियन) पुत्र श्री गोकुल चंद शर्मा,
प्लॉट नं. 14, गणेश नगर-8, निवारू रोड़, झोटवाड़ा-जयपुर - 302018,
मो.नं. : 9587878703

विषयः बिना अवकाश स्वीकृति के 10.10.2024 से अनुपस्थिति रहने बाबत।

जोबनेर स्थित इस विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय में आपकी नियुक्ति इलेक्ट्रीशियन के पद पर आदेश कृमांक प.71/स्था-2/श्रीकनकृविवि/2072 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा की गयी थी, जिसकी अनुपालना में आप द्वारा दिनांक 20.03.2024 को कार्यग्रहण किया गया। आप दिनांक 10.10.2024 से आदिनांक तक बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित हैं।

आपको इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 1243 दिनांक 12.11.2024, 1495 दिनांक 17.12.2024 एवं 2029 दिनांक 12.03.2025 आपकी ईमेल व रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः आपको आदेश दिया जाता है कि समाचार पत्र में इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर उपस्थित होवें अन्यथा नियमानुसार सेवा समाप्ति व न्यायिक (न्यायालय) कार्यवाही की जावेगी। और यदि आप कार्यग्रहण दिनांक से तीन वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय सेवा छोड़ना चाहते हैं तो आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र व नियुक्ति की शर्तों के अनुसार रु. 3.00 (तीन) लाख वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में डी.डी. बनवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।

राज.संवाद/सी/25/2755 कुलसचिव

कलेक्टर ने चिकित्सा संस्थानों को कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए

टोंक। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, बैठक में जिला कलेक्टर ने लू-तापघात, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के कार्यो की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की ब्लॉकवार समीक्षा कर पीएचसी व सीएचसी की जानकारी लेकर आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया, उन्होंने जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाईयों की शत-प्रतिशत उपलब्धता रखने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में आयोजित होने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान के सफल संचालन, टीबी रोग की शीघ्रता से पहचान, जांच और उपचार, अभियान में जनभागीदारी, निक्षय मित्र, सीबीनाट टेस्ट समेत अन्य गतिविधियों को लेकर बीसीएमओ को आवश्यक निर्देश दिए। हाइपरटेंशन, सीबैक फॉर्म, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, परिवार कल्याण, एनीमिया मुक्त राजस्थान, संस्थागत प्रसव, संपूर्ण टीकाकरण, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संबधित कार्यो में कम प्रगति वाले चिकित्सा संस्थानों को कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए। बैठक में सीएमएचओ डॉ. शैलेंद्र सिंह चौधरी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेंद्र शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. अभिमन्यु डासवानी, आरसीएचओ डॉ. गोपाल जांगिड़, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. हिमांशू मित्तल, पीएमओ डॉ. हनुमान बैरवा, डॉ. मानवेंद्र, डीपीओ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

JAIPUR METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Room No. 314, 3rd Floor, Admin Building, Metro Depot , Bhrigu Path, Mansarovar, Jaipur-302020, Tel. No. 0141- 2822106, E-mail: edst@jaipurmetrorail.in

No. : JMRC/O&S/S&T/NIB/2025-26/01

NOTICE INVITING BID

JMRC invites bids from the eligible contractors/suppliers for **"Supply of Contactless Smart Cards for Jaipur Metro Rail Corporation."** With estimated cost ₹ 68,52,290. Scheduled Last Date and Time for Submission of Bids is 11.06.2025 by 1500 Hrs. Please visit JMRC website **https://transport.rajasthan.gov.in/jmrc**, SPP Portal **https://sppp.rajasthan.gov.in** & **https://eproc.rajasthan.gov.in** for all Corrigendum/clarification/addendum. **(UBN No. JMR2526GLOB00012)**

Raj.Samwad/C/25/2826 **ED (S&T)**

प्रदूषण रहित, सस्ता, सुरक्षित एवं आरामदायक सफर - जयपुर मेट्रो

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, jda.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा.जोन-08/2025/डी-145 विज्ञप्ति दिनांकः 22.05.2025

आवेदक श्रीमती सरोज बागला पत्नी श्री मनमोहन कृष्ण बागला द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इन्द्रा गृ.नि.स.स. की योजना श्री कुशल नगर के भूखण्ड संख्या 39 का फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। इन्द्रा गृ.नि.स.स. की योजना श्री कुशल नगर के भूखण्ड संख्या 39 का आवंटन पत्र दिनांक 24.09.1994 को सावित्री मीणा पत्नी श्री जगमाल सिंह मीणा के नाम से जारी किया गया है। तत्तश्चात् इनके द्वारा दिनांक 22.08. 2012 को जरिये रजि. विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती शशीकला गुप्ता पत्नी श्री मदन मोहन गुप्ता को बैचान किया गया। तत्तश्चात् इनके द्वारा दिनांक 01.08.2018 को जरिये रजि. विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान आवेदक श्रीमती सरोज बागला को बैचान किया गया। वर्तमान में इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेगा। समय सीमा पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। सूचित रहें।

उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा-2025 की उत्तर-पुस्तिकाओं की संवीक्षा एवं उत्तर-पुस्तिकाओं की स्केन प्रति ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु व परीक्षार्थियों के सूचनार्थ

उच्च माध्यमिक परीक्षा-2025 में प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी, परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि से 07 दिवस में एवं उसके पश्चात् आगामी 03 दिवस में विलम्ब शुल्क से उत्तर पुस्तिका की संवीक्षा कराने एवं संवीक्षा उपरान्त स्केन प्रति प्राप्त करने हेतु बोर्ड वेबसाईट् www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर SCRUTINY-2025 लिंक पर नियत तिथि तक (स्वप्रमाणित आई.डी. अपलोड कर) ई- मित्र अथवा अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से बोर्ड वेबसाईट पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से तथा ई-मित्र से आवेदन करने पर शुल्क (सेवा शुल्क सहित) ई-मित्र पर जमा कराना होगा। विस्तृत जानकारी बोर्ड वेबसाईट से ली जा सकती है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत बने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम (13) (5) के प्रावधान अनुसार संवीक्षा में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुन:जांच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है। संवीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अन्दर-बाहर (केजिंग) में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिये गये हों, उत्तर पुस्तिका/अंकतालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है।

अन्तिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को क्रमबद्ध/पंजीकरण कर SMS द्वारा परीक्षार्थी के प्रार्थना-पत्र में अंकित मोबाईल नं. पर पंजीकरण संख्या एवं आवेदित विषयों की सूचना अन्तिम दिनांक के पश्चात दी जावेगी। संवीक्षा की नियत प्रकिया पूर्ण कर प्रतिदिन निस्तारित प्रकरणों का परिणाम/आवेदित विषय की उत्तर-पुस्तिका वेबसाईट पर दिये लिंक पर अपलोड कर आवेदित मोबाईल नं. पर SMS द्वारा 'Passowrd' उपलब्ध करवाया जावेगा। **परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका ऑनलाईन देखकर डाउनलोड/प्रिन्ट कर सकेगें। ऑनलाईन आवेदन पत्र में परीक्षार्थी अपना स्वयं का सही मोबाईल नम्बर व ई-मेल अंकित करें। मोबाईल नं. व ई-मेल गलत अंकित करने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। एक मोबाईल नम्बर व ई-मेल को एक बार ही प्रयुक्त किया जा सकेगा। ई-मित्र कियोस्क धारक का मोबाईल नम्बर/ ई-मेल दर्ज करना अनुचित एवं नियम विरूद्ध माना जावेगा।**

सभी विषयों में संवीक्षा परिणाम का संदेश प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित 05 दिवस की अवधि में उ.पु. का अवलोकन कर यदि कोई आपत्ति हो तो निकटतम ई-मित्र द्वारा अथवा सीधे आवेदन-पत्र भरकर/प्रमाण संलग्न कर निर्धारित शुल्क रू. 100/- प्रति विषय के साथ में ऑनलाईन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगें।

नोटः 1. विस्तृत जानकारी, नियम, निर्देश, शर्तें आवेदन पत्र प्रारूप/प्रक्रिया आदि बोर्ड वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. समस्त परीक्षाओं के परिणाम घोषणा दिवस से उक्त निर्धारित समयावधि में आवेदन किया जा सकता है।
3. निर्धारित तिथि के बाद व डाक से प्राप्त आवेदन-पत्र व आपत्ति स्वीकार्य नहीं होंगी।
4. किसी भी प्रकार की जानकारी/आवेदक अपने संवीक्षा की वर्तमान STATUS की जानकारी बोर्ड वेबसाईट पर 'SCRUTINY-2025' लिंक पर प्राप्त की जा सकती है।
5. एक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर देय होगा। अतः एक बार ही आवेदन में वांछित सभी विषय (सैद्धान्तिक/प्रायोगिक) अंकित करें।
6. संवीक्षा/आपत्ति में अंकों में कमी अथवा वृद्धि के उपरान्त परिणाम/अंकों में संशोधन होगा तद्नुसार परिणाम/संशोधित अंक प्रभावी होगे एवं उसी अनुरुप संशोधित अंकतालिका जारी की जायेगी।
7. संवीक्षा उपरान्त आवेदित विषय/विषयों में अंक परिवर्तन होने अथवा नहीं होने की किसी भी स्थिति में संवीक्षा प्रक्रिया शुल्क लौटाया नहीं जायेगा। **सचिव**